WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/123 दिनांक : 15 जुलाई, 2017

''जीएसटी के विषय में आयुक्त महोदय से बैठक''

व्यापारी भाईयों, जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के बाद बाजार में जिस प्रकार की असमंजस की स्थिति है उन सभी पहुलओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने हेतु बृहस्पतिवार दिनांक 13–7–2017 को चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री(CTI) के संयोजक श्री ब्रिजेश गोयल जी के नेतृत्व में दिल्ली की विभिन्न–विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं– सदर बाजार फैडरेशन, करोल बाग, केमिकल एसोसियेशन एवं ग्रेन मर्चेन्टस एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने आयुक्त श्री राजेश प्रसाद जी, अतिरिक्त आयुक्त श्री आनन्द तिवारी जी से उनके आई.टी.ओ. स्थित कार्यालय में बैठक की तथा अपमा की तरफ से महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी ने भाग लिया।

साथियों, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय जी को बताया कि जीएसटी को अपनाने में व्यापारियों को क्या–क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जानना चाहा कि विभाग किस प्रकार से व्यापारियों की सहायता कर सकता है एवं उनके समक्ष निम्नलिखित समस्याऐं रखते हुए उनके समाधान हेतु निवेदन भी किया –

1. व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि इस वक्त व्यापारी वर्ग जीएसटी की तैयारियों मे उलझा हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए प्रथम तिमाही रिटर्न जिसकी अंतिम तिथि जोकि 28 जुलाई है उसको कम से कम एक माह के लिए बढ़ा दी जाए। इस पर आयुक्त महोदय जी ने रिटर्न अवधि में छूट देने हेतु आश्वासन दिया।
2. व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय से निवेदन किया कि वैट प्रणाली समाप्त हो गई है इसके लिए विभाग द्वारा Amnesty Scheme की सुविधा दी जाए ताकि भारी जुर्माना से निजात मिल सकें और व्यापारी वर्ग अपने पिछले सालों के Assessment बिना किसी परेशानी से करवा सकें।
3. वैट रिफण्ड न मिलने की परेशानियों के बारे में आयुक्त महोदय जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि विभाग की तरफ से तेज तर्ज स्तर पर बकाया रिफण्ड देने प्रक्रिया जारी है ताकि व्यापारी को रिफण्ड के सन्दर्भ में कोई तकलीफ ना हो इसके लिए उन्होंने व्यापारियों से निवेदन किया कि वो अपने पूर्ण दस्तावेज विभाग में जमा करवायें और अपने रिफण्ड ले।
4. सी–फार्म को Net से download करने की परेशानियों के बारे में आयुक्त महोदय जी को बताया। इस पर आयुक्त महोदय जी ने कहा कि सन् 2015 के बाद पंजीकृत फर्म अथवा जिनकी टर्न ओवर बहुत अधिक है परन्तु वैट न के बराबर जमा होता है केवल उन्हीं फर्मो को सी–फार्म को Net से download करने से पहले अपने वार्ड से अनुमति लें।
5. व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि बहुत से ऐसे व्यापारी है जिन का अभी तक जीएसटी में पंजीकरण नहीं हुआ है। इस विषय पर अतिरिक्त आयुक्त श्री आनन्द तिवारी जी का कहना था कि पैन कार्ड के मिलान नहीं होने के कारण जीएसटी में पंजीकरण नहीं हुआ है वह व्यापारी अपना पुराना टीन नंम्बर के आधार पर जीएसटी में पंजीकरण करवा सकता है इसकी सुविधा दी गई है।

कृ0प0उ0.....2

व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय से पुरजोर से कहा कि आजकल व्यापार में सरगर्मी नहीं है क्योंकि व्यापारी वर्ग कम्प्यूटर सॉफटवेयर के बदलाव में लगे हुए है और शीघ्र ही इस स्थिति में होगे कि वो अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होगें तथा जीएसटी बिल का प्रारूप भी व्यापारियों के पास उपलब्ध नहीं है। इस पर अतिरिक्त आयुक्त का कहना था कि जीएसटी प्रावधानों के तहत कोई पक्का प्रारूप नहीं है और व्यापारी अपने व्यापार की सुविधानुसार अपने बिल का प्रारूप तैयार कर सकते है परन्तु जो सूचनाएं जीएसटी कानून के तहत में दी गई वो प्रारूप में सूचाएं अवश्य होनी चाहिए।

मित्रों, आयुक्त महोदय जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि विभाग की तरफ से जीएसटी के विषय में जानकारियां देने हेतु दिल्ली की सभी संस्थाओं के कार्यालयों में आकर जीएसटी कैम्प का आयोजन करेंगे एवं जीएसटी से संबंधित सभी शंकाओं का निवारण भी किया जाएगा।

इसके बाद व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय से यह भी निवेदन किया कि जीएसटी के उपरान्त व्यापार में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु दिल्ली की सभी एसोसियेशन के साथ एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाए। इस पर आयुक्त महोदय जी ने अगले सप्ताह मीटिंग रखने का आश्वासन दिया। इसके बाद व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय जी एवं अतिरिक्त आयुक्त महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने हमारी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना एवं समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन दिया।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/121

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि बृहस्पतिवार दिनांक 13–7–2017 को कन्फैडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में जीएसटी की समस्याओं को लेकर एक वर्कशाप का आयोजन एनडीएमसी कांन्फेंस सेन्टर जन्तर–मन्तर पर किया गया जिसमें भारत सरकार के केन्द्रीय उर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी अतिरिक्त आयुक्त CBEC के श्री सचिन जैन जी ने भाग लिया। इस बैठक में कन्फैडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमैन नरेन्द्र मदान जी, महासचिव श्री उमेश सेठ जी, अपमा प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी, निवर्तमान प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी, सचिव श्री उमेश सेठ जी, कोषाध्यक्ष श्री विनय नारंग जी, संयुक्त सचिव श्री पूरन चन्द गुप्ता जी, कर उपसमिति के चेयरमैन श्री इन्द्रजीत सिंह जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री कैलाश चन्द(जेडी) जी भी उपस्थित थे।

बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने जीएसटी से संबंधित समस्याओं से माननीय उर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को अवगत करवाया। हमने उनको एक ज्ञापन पत्र भी दिया जिसमें निम्नलिखित विषयों का जिक्र किया है – ऑटो पार्ट्स के कर दर 28% होने से और उत्पाद शुल्क के अंतर्गत छोटे उद्योगों को जो कर दर में छूट मिली थी उसके खत्म होने के कारण उनके कर दर में वृद्धि हो गई तथा उनकी लागत बड़ी कम्पनियों के बराबर हो गई और इसके कारण उनका वजूद भी खतरे में है इसके अलावा उनकी पूंजी लागत भी बढ़ गई है। ऑटो पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स एवं ट्रेक्टर पार्ट्स की बहुत सी वस्तुऐं सामान्य है इसलिए इनकी दरों में असमान्यता होने से बहुत दिक्कत हो गई है। HSN CODE में बहुत सारी अस्पष्टता हैं जिसके लिए व्यापारियों से बात करके ही HSN CODE पणाली लागू किया जाना चाहिए। मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि अगली काउसिंल बैठक में उपरोक्त सुझावों को रखा जाऐगा तथा प्रयास किया जाएगा कि व्यापारियों द्वारा दिये गए सुझावों पर यथासंभव उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह कोई पहली या आखिरी मीटिंग नहीं है आप सुझाव भेजते रहें मीटिंगों का दौर चलता रहेगा उन्होंने एक website भी बताई यदि किसी भी व्यापारी भाई को अपनी समस्या भेजनी है तो वह sachinjainIRS@gmail.com पर Adll.Commissioner श्री जैन को भेज सकते है तथा आपके सुझावों पर उचित कार्यवाही होगी उसका उन्होंने आश्वासन भी दिया।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/122

M/S. ANKUR AUTO AGENCIES, 195/17, Prem Gali, Kashmere Gate, Delhi-110006, (Phone : Office : 23948193), desire to circulate as under:-

"This is to inform that our employee Mr. Pandey has left our firm M/s. Ankur Auto Agencies(Autoease) at 195/17, Prem Gali, Kashmere Gate, Delhi-110006 with effect 6 June 2017. Anybody dealing with him after 6-6-2017 will do so at their own risk and responsibility.

(विष्णु भार्गव)
महासचिव